न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 292/2018
आरसीएमएस नं. 2018/00408

मोहन लाल पुत्र मघाराम जाति भाटी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. वन विभाग जरिये डी.एफ.ओ. वन विभाग हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
3. राज्य सरकार जरिये रेन्जर वन विभाग।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर ।
प्रकरण संख्या 327/2015 अनवान मोहन लाल बनाम राजस्थान सरकार ।

उपस्थितिः—
श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1

निर्णय दिनांक 23.02.23

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। जिसमें रोहीमौजा सोनड़ी के खसरा नं. 242 मीन व 245 मीन भूमि पूर्व में आराजीराज थी तथा ठाकुर विरेन्द्र सिंह जो ठिकाना जसाना जागीरदार थे तब से वादी के पिता ने सम्वत 2002 से पूर्व जब उक्त भूमि की किस्म आराजीराज मकबूजा थी तब बंजड़ से नोतोड़ की थी तब से पूर्व से वादी के पिता एवं वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसलिए वह इस भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नं0 245 की 23 बीघा भूमि को वन विभाग के नाम से दर्ज की गई जो कतई विधि विरूद्ध है जिसका उन्हं कानूनी हक अधिकार नहीं था। यह भूमि दिनांक 21.10.1981 को वादी के पक्ष में आवंटन भी किया गया था एवं अमल दरामद करने के आदेश भी दिये गये थे परन्तु उक्त आदेश की क्रियान्विति नही हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 01.06.1987 को तहसील के आदेश से यह भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज कर दी गई जो विधि विरूद्ध है एवं निरस्त योग्य है। वादी को वाद भूमि से प्रतिवादी संख्या 1, 2 बेदखल करने पर आमादा है जिससे वादी के हकों का हनन होता है इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा सोनड़ी के खसरा नं. 245/1 की 162.2530 है0 भूमि में से 23 बीघा यानि खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को पाबंद किया जावे कि वह वादी के कब्जा काश्त में दखल नही करें। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मातहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय पत्रावली की प्रासिडिंग को पूरा किये बिना सिविल प्रक्रिया संहित में वर्णित उपबन्धों की अवहेलना में पारित किया है। पत्रावली मे फर्द अहकाम दिनांक 06.02.2018 प्रतिवादी सं0 2 के जवाब दावा हेतु तारीख पेशी दिनांक 10.04.2018 नियत थी। इसके बाद दिनांक 10.05.2018 को जब एस.डी.ओ. कोर्ट में उपस्थित नही थे जैसा कि फर्द अहकाम में वर्णित है। विचारण न्यायालय ने निर्णय कतई अनुचित तौर से पारित कर दिया जो अपास्तनीय है। अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने की तारीख पेशी निश्चित नही की गई ना ही वाद में तनकियात विनिश्चित की। मातहत अदालत ने आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की स्पष्ट अवहेलना में निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत को दोनों पक्षों को सुनकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करनी चाहिए थी। अपीलाट का वाद भूमि पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि को कभी भी गोचर के अथवा वन के रूप में काम में नहीं लिया गया है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम से दर्ज है वाद भूमि को कभी आवंटन नहीं किया गया ना ही वादी का वाद भूमि में किसी प्रकार का अधिकार है। वादी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी था जिसे समय समय पर बेदखल किया जाता रहा है। प्रश्नगत भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसे वादी पाने का अधिकारी नहीं ना ही वादी को आवंटित की जा सकती है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है प्रश्नगत भूमि पानी समीपस्त जोहड़ में होने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गोचर/जोहड़ पायतन दर्ज किया गया है जिसे श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 3180 दिनांक 15.03.1979 को द्वारा वन विभाग को आवंटन करने पर प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नग भूमि भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा सहवन से वन विभाग के नाम दर्ज नहीं की जाकर जिलाधीश श्रीगांगनगर के आदेश से दर्ज हुई है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है जिसके कारण प्रश्नगत भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। जिसके सम्बन्ध में अपीलाण्ट किसी प्रकार की घोषणा पाने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट ने ऐसा काई साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबत हो सके की भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत अंकन किया गया हो मात्र कथनों के आधार पर अपीलाण्ट किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अपील स्तर पर भी अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.02.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/2/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 292/2018
आरसीएमएस नं. 2018/00408

मोहन लाल पुत्र मघाराम जाति भाटी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. वन विभाग जरिये डी.एफ.ओ. वन विभाग हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
3. राज्य सरकार जरिये रेन्जर वन विभाग।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर ।
प्रकरण संख्या 327/2015 अनवान मोहन लाल बनाम राजस्थान सरकार ।

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1 की बहस समायत की जाकर अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 23.02.23 को जारी की गई।

23/2/23
(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner